

5-6-23 पत्रावली जत पेची दिनांक से आज पेच हुई।
 अधिकता प्राची उपस्थित। उपखण्ड अधिकारी
 बांकीपुर से रिपोर्ट प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली
 में अधिकता प्राची द्वारा पूर्व आदेश की पालना
 हेतु अनवर-याचकाला अग्रणी जग की पुनः तलबी
 हेतु तलबाने पेश होने पर तलबी की जाकर
 पत्रावली दिनांक 9-6-23 में पेश हो।

अति. जिला कलक्टर
 दोसा

9-6-23 पत्रावली पेच हुई। अधिकता प्राची एवं प्राची
 को बार-बार आवाज लगावई गई। किंतु अधिकता
 प्राची एवं प्राची में से कोई भी उपस्थित नहीं
 हुआ। पूर्व आदेश की पालना में तलबाने भी पेश
 नहीं किये गये। इससे प्रतीत होता है कि प्राची
 विचाराधीन प्राचीना पत्र स्थानांतरण को नहीं चलाना
 चाहते हैं। इसी स्थिति में न्यायालय उपखण्ड
 अधिकारी बांकीपुर में विचाराधीन मुकद. 100/2021
 का उतवानी गौरीशंकर बनाम लक्ष्मण कोठ एवं
 प्राचीना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकद. 72/2021 को
 अन्य सहाय न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु
 प्राची गौरीशंकर पुत्र हरीवल्लभ जाति ब्राह्मण
 निवासी गुला मरुला तहसील बंसवा जिला दोसा
 द्वारा प्रस्तुत प्राचीना पत्र स्थानांतरण अफस हाजरी
 एवं अफस पेची में खारिज किया जाता है।
 नियम की प्राति उपखण्ड अधिकारी बांकीपुर के
 गिजवाई जावा पत्रावली केसल कुमार की जाकर नंबर
 से शुरू हो एवं बाद प्राति प्रविष्ट लखमण्डार की
 प्राची विनिय आज दिनांक 9-6-2023 को मर
 दोसा मुले न्यायालय में सुनाया गया।

Decision
 copy
 756
 16-6-23

